## जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2010

**सा.का.नि. 236.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, (उद्यान उप ओवरसियर) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में उद्यान उप ओवरसियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, उद्यान उप ओवरसियर, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं, आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

### अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है नहीं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| उद्यान उप ओवरसियर | 01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. | लागू नहीं होता | 18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की | लागू नहीं होता |

| (6) |
|---|
| दशा में शिथिल कर के 45 वर्ष तक की जा सकती है। **टिप्पण** 1 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2**: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| **आवश्यक** :<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; और<br>(ii) कृषि विश्वविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से बागवानी का एक वर्ष का प्रमाणपत्र पाठयक्रम ।<br>**वांछनीय** :<br>आवश्यक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् किसी मान्यताप्राप्त संस्थान के बागवानी में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव<br>**टिप्पण**: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा । |
|---|---|
| (11) | (12) |
| सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (13) | (14) |
| **पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-**<br>1. संयुक्त निदेशक केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —अध्यक्ष<br>2. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य<br>3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । |

[फा. सं. 2/10/2000 स्था.II(भाग)]

ललन प्रसाद शर्मा, अवर सचिव

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 29th November, 2010

**G.S.R. 236.** —In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune (Garden Sub-Overseer) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Garden Sub- Overseer in the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, namely:-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, Garden Sub-Overseer, Group "C" Post, Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification pay band and grade pay or pay scale.**—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scales attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule Annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating there to shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**4. Disqualification.** —No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; and

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex--servicemen, the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of the Post | Number of Post | Classification | Pay Band and grade Pay or pay scale | Whether Selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Garden Sub Overseer | 01* (2010) *Subject to variation dependent on work-load. | General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial | PB-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 1800 | Not applicable | Between 18 and 27 years. (Relaxable for Govt. servant up to the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or order issued by the Central Government from time to time) **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep). **Note 2:** In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names | Not applicable |

| Educational and other Qualifications required for direct recruits | Whether age and educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| **Essential :**<br>(i) Matriculation or equivalent from a recognised board and<br>(ii) one year certificate course in Horticulture from the Agriculture University or a recognised Institute.<br>**Note :** Qualifications are relaxable at the disceretion of the Central Government for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.<br>**Desirable**<br>Two years working experience in Horticulture after essential qualification in a recognised institute. | Not applicable | Two years |

| Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation absorption, grades from which promotion deputation absorption is to be made |
|---|---|
| (11) | (12) |
| Direct Recruitment | Not applicable |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment |
|---|---|
| (13) | (14) |
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of :—**<br>1. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune—Chairman<br>2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member<br>3. A Gruop 'A' Officer from other Government Department —Member | Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary. |

[F. No. 2/10/2010-E.II (Part)]

L.P. SHARMA, Under Secy.